[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 109/2015-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. (अ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रति अदायगी नियमावली, 1995, को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा–

1. (1) इन नियमों का नाम सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 है।

   (2) यह दिनांक 23 नवम्बर, 2015 से लागू होंगे।

2. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली 1995 में-

   (i) नियम 3 में, उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक में, खंड (v) विलोपित किया जाएगा;

   (ii) नियम 6 में, उपनियम (4) विलोपित किया जाएगा;

   (iii) नियम 7 में, -

   (क) उपनियम (3) में, -

   (क) "जहां कहीं निर्माता अथवा निर्यातक यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसे अनंतिम रूप से प्रतिअदायगी प्रदान की जाए", शब्दों के स्थान पर "अनंतिम प्रति अदायगी धनराशि, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, का भुगतान सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और जहां कहीं निर्माता अथवा निर्यातक यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसे अनंतिम रूप से और भी प्रतिअदायगी प्रदान की जाए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "उस नियम के अंतर्गत किए गए आवेदन और अनंतिम प्रतिअदायगी का प्रदान'' शब्दों के स्थान पर "पहले से ही अदा की गई अनंतिम प्रतिअदायगी के ब्यौरे सहित उस नियम के अंतर्गत किए गए आवेदन तथा और भी अनंतिम प्रतिअदायगी का प्रदान'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) विलोपित किया जाएगा।

[फा.सं. 609/94/2015-डीबीके]

(थियोडोर टिग्गा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. 39/1995-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995 के द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 441 (अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 10 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 81 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया था।